

राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल जज रुड़की, जिला हरिद्वार।

मूलवाद संख्या: 248 / 2022

कम्प्यूटर वाद संख्या :

राजेश सिंह बनाम पैगासस फार्माको इण्डिया प्रा0 लि0 आदि

दिनांक: 12.11.2022—

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 9ए1 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 जा0दी0 इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभी हाल में दिनांक 19.07.2022 को दायर किया था, परन्तु वादी वाद उपरोक्त को आगे चलाना नहीं चाहता है। अंत में वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 9ए1 के आलोक में वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 9ए1 निस्तारित किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रार्थना पत्र 9ए1 इस आदेश व डिक्री का भाग रहेगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रीमती विजय लक्ष्मी)

सदस्य / एडवोकेट

राष्ट्रीय लोक अदालत (बैंच सं. 12)

रुड़की, जिला हरिद्वार।

12.11.2022

(त्रिचा रावत)

पीठासीन अधिकारी

राष्ट्रीय लोक अदालत (बैंच सं. 12),

अपर वरिष्ठ सिविल जज /,

ए0सी0जे0एम0 रुड़की।

12.11.2022